केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/P/21/00355 **दिनांक : 18.05.2021**

सेवा में

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सुचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 13.04.2021 , इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 27.04.2021 को फाइल संख्या CICOM/R/E/21/00355 के तहत अपीलार्थी को सीधे सूचना प्रदान करने हेतू अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ । जिसका उत्तर इस प्रकार है:-

इससे पहले कि आप की RTI पर बिन्दुवार सूचना प्रदान की जाएं यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कमीशन में कार्य करते रहने के कारण अपीलार्थी को जो केंद्रीय रजिस्ट्री में सुगम आवगमन की सुविधा उपलब्ध थी उस का उसने दुरूपयोग किया । अन्य ऐसा प्रतीक होता है कि अपीलार्थी ने स्वयं ही केन्द्रीय रजिस्ट्री से डायरी संख्या 101570/2021 के दस्तावेज उठा लिये एंव उन पर निस्चित समय सीमा के उपरांत RTI में सुचना मांगी । अन्यथा क्या अन्य कारण हो सकता है कि अपीलार्थी का इस डायरी पर interest create हुआ । अपने इस कृत्य को छुपाने हेतू दो अन्य डायरी का Status भी मांग लिया । उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुचने का एक कारण यह भी है कि सुचना के अधिकार में जिन तीन डायरियों पर सूचना चाही है उनमें से कोई भी अपीलार्थी से सम्बंधित नहीं है । एंव अपीलार्थी का इन डायरियों पर सुचना चाहने का कोई भी Larger public interest सिवाय इसके की वह कमीशन की छवि को धूमिल करें क्योंकि कमीशन में उसकी सेवाएं बार-बार चक्कर लगाने के उपरोक्त भी, एक समय सीमा के बाद नहीं ली गई ।

अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्यों से मन बहुत व्यथित हुआ है इसीलिए RTI Act, 2005 के तहत अनुमति नहीं होने के बावजूद भी CPIO अपने मन के विचार प्रकट करने से स्वयं को रोक नहीं सका । हलाकि वह अच्छे से जानता है कि उसका उपरोक्त कृत्य प्रथम अपीलीय अथारिटी एंव कमीशन द्वारा क्रमश: प्रथम अपील एंव द्वितीय अपील में उचित नहीं है ठहरेगा । अपने उपरोक्त विचारों के लिए अधोहस्ताक्षरी क्षमा प्रार्थी है । और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि अगर किसी दूसरी अपील/कम्पलैंट के दस्तावेज अगर अपीलार्थी के पास है तो वह उन्हें वापिस लौटा दे ताकि उन पर कार्यवाही में देरी से कमीशन की छवि धूमिल न हो ।

अब, RTI Act, 2005 के अनुसार बिन्दुवार सूचना इस प्रकार है:-

चूँकि अपीलार्थी इस कमीशन में कार्यरत रह चुका है अत: वह अच्छे से जानता है कि third party information RTI Act, 2005 के section 8 (1) (j) के तहत बिना Larger pubic interest के नहीं दी जा सकती । वह यह भी अच्छे से जानता है कि कमीशन में प्राप्त डाक का Status कमीशन की वेबसाईट पर उपलब्ध है एंव सुगमता से उसे देखा भी जा सकता है । फिर भी सम्बंधित सूचना संक्षेप में section 8 (1) (j) RTI के मद्देनजर इस प्रकार है :-

Sl No	Dairy No.	Dairy Date	Current Status
1.	101570	12.01.2021	अपीलार्थी से प्रार्थना करके उसके दस्तावेज उपलब्ध होने पर इस डायरी पर दिनांक 12.05.2021 को द्वितीय अपील पंजीकृत की गई है ।
2.	106882	12.02.2021	यह एक return डाक थी जिसको as per practice vendor द्वारा जिस दिन डायरी किया (यानी 12.02.2021) उसी दिन डाक अनुभाग को दे दी जिन्होंने उसे सम्बंधित रजिस्ट्री को Physically 19.02.2021 को receive करवाया ।
3.	108309	23.03.2021	डायरी होने के अगले ही दिन उस पर द्वितीय अपील पंजीकृत की गई ।

अनुबंध के किन नियमों और शर्तो का अपीलार्थी जिक्र कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं किया गया । शायद वह 48 घंटो वाली समय सीमा की बात कर रहा है । अगर ऐसा है तो उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि Sl. 2 & 3 पर Vendor का कार्य गलत प्रतीक नहीं होता है अत: उस पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही उपेक्षित नहीं है । जहाँ तक Sl. No. 1 सम्बंध है; मुद्दा फाइल पर उचित समय पर put up किया जाएगा । फ़िलहाल अधोहस्ताक्षरी CPIO अपने Pending कार्यो निपटने में वयस्थ है । ये कार्य इसलिए Pending हो गये क्योंकि वह 01.04.2021 से 05.05.2021 के दौरान मेडिकल अवकाश पर रहा ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है, **Smt. Meena Balimane Sharma, प्रथम अपीलीय अधिकारी , कमरा न .502, केन्द्रिय सूचना आयोग ,बाबा गंगनाथ मार्ग ,नजदीक पुराना जे न यू कैंपस ,नई दिल्ली 110067** । उनका दूरभाष न .011-26162290 है ।

कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ
केन्द्रीय रजिस्टरी –1
दूरभाष न. – 011-26186536

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ,केन्द्रीय सूचना आयोग ,नई दिल्ली ।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप सचिव/सी पी आई ओ

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
18 MAY 2021
D. No.....
Initials.....